**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)**
**पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.**
**राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 27/2018**
**दायरा तिथि : 17.04.2018**
**फैसला तिथि :** 15-7-2019

**प्रार्थीः–**
मोडीलाल पुत्र रतनलाल जाति ब्राहमण
निवासी सेवाडी तहसील बाली जिला पाली (राज0)

**बनाम**

**अप्रार्थी :–**
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

**उपस्थितिः–**
1. श्री ओमदवे — अधिवक्ता प्रार्थी की और से
2. तहसीलदार, बाली — पेरोकार सरकार

**–:: आदेश ::–** **दिनांक** 15-7-2019

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956**
**(प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी.)**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. पेश कर दिनांक 12.06.2017 को राजस्व केम्प सेवाडी में खारिज धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के प्रकरण को पुनःरेकर्ड पर लिया जाकर प्रार्थी के आवेदन पत्र अनुसार ग्राम सेवाडी स्थित भूमि खसरा नंबर 1688 रकबा 0.40 हैक्टर व खसरा नंबर 1694 रकबा 0.41 हैक्टर कुल रका 0.81 हैक्टर के 1/3 हिस्से में बतौर सह खातेदार दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम बाबु पुत्र रतना** की बजाय अपना **सही व शुद्ध नाम मोडीलाल** दुरस्ती के माध्यम से शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत सेवाडी का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की फोटो प्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थाई लेखा संख्या प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति, अन्य धारित सह खातेदारी भूमि खसाता संख्या 321 की जमाबंदी की फोटो प्रति स्कूलिंग सर्टिफिकेट हाई स्कूल परीक्षा, 1957 का जारी प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश की। इन दस्तावेजी साक्ष्यों के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य प्रार्थी स्वयं मोडीलाल पुत्र रतनलाल एवं एव अन्य स्वतंत्र गवाह पी.डब्लू. 02 मदनलाल पुत्र रूपाराम लोहार निवासी सेवाडी के बयान कलमबद्ध कराये गये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबध अप्रार्थी को जवाब के लिये समय अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 26.02.2019 से वकुलाय की बहस के पश्चात् प्रकरण को पुनः बरामद कर प्रार्थी को अपना साक्ष्य सबूत प्रस्तुती के लिये रखी गई। प्रार्थी की साक्ष्य पुर्ण करने के पश्चात् बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् वकील प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थी का **सही व शुद्ध नाम मोडीलाल** होना बताया, जिस नाम का इन्द्राज स्कूलिंग रेकर्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेजो में हैं, परन्तु प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात् दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण से प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में **त्रुटिपुर्ण नाम बाबु पुत्र रतना** दर्ज कर दिया गया, जो त्रुटिपुर्ण नाम वर्तमान अधिकार अभिलेखों में बदस्तुर चल रहा हैं। अतः दुरस्ती के माध्यम से **प्रार्थी का सही नाम मोडीलाल** राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की दलील दी गई। पेरोकार सरकार द्वारा वकील प्रार्थी की दलीलो का खण्डन नहीं किया गया।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.......02

Scanned by CamScanner

**राजस्व विविध प्रकरण संख्या 27/2018 अनवान मोडीलाल बनाम सरकार**
**अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956**

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हैं कि प्रार्थी का **सही व शुद्ध नाम मोडीलाल पुत्र रतनलाल** है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध आधार कार्ड की फोटो प्रति, राशनकार्ड की फोटो प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की फोटो प्रति, संरपंच ग्राम पंचायत सेवाडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, स्कूलिंग प्रमाण पत्र की प्रतियों में दर्ज इन्द्राज से भी होती हैं। प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य गवाह पी.डब्लू.–01 प्रार्थी एवं गवाह पी.डब्लू–02 पी.डब्लू. 02 मदनलाल पुत्र रूपाराम लोहार भी अपने बयानो में इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि प्रार्थी का **सही व शुद्ध नाम मोडीलाल पुत्र रतनलाल** है, परन्तु प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात् दाखिल एवं स्वीकृत नामा0करण से उक्त त्रुटिपुर्ण नाम दर्ज हुआ हैं। इस प्रकार तमाम तथ्यों से यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हैं कि प्रार्थी का **सही व शुद्ध नाम मोडीलाल पुत्र रतनलाल** है, लेकिन वादग्रस्त भूमि ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 1688 रकबा 0.40 हैक्टर व खसरा नंबर 1694 रकबा 0.41 हैक्टर कुल रकबा 0.81 हैक्टर के 1/3 हिस्से में बतौर सह खातेदार **त्रुटिपुर्ण नाम बाबु पुत्र रतना दर्ज हैं।** जिसको शुद्ध किया जाना उचित एवं लाजमी प्रतीत हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 1688 रकबा 0.40 हैक्टर व खसरा नंबर 1694 रकबा 0.41 हैक्टर कुल रकबा 0.81 हैक्टर के 1/3 हिस्से में बतौर सह खातेदार दर्ज **त्रुटिपुर्ण नाम बाबु पुत्र रतना** के स्थान पर प्रार्थी का **सही व शुद्ध नाम मोडीलाल पुत्र रतनलाल** बतौर सह खातेदार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेवाडी आदेशानुसार रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। इस हेतु आदेश प्रति संबधित को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
उप - खण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 15-7-2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप - खण्ड अधिकारी, बाली
बाली